उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 1537 –पारे0अनु0–03/पाट्राकालि–2021

दिनांक : 13 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2021

समस्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण/जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झाँसी/आगरा।

पारेषण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में CAG Audit, Internal Audit एवं अन्य विभिन्न प्रकरणों में प्रचलित जाचों, अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पारेषण की विभिन्न इकाइयों की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित प्रकरणों में सामान्यतः निम्नलिखित कमियां संज्ञान में आई हैं :–

1. खण्डों द्वारा समय से लेखा अकाउंट प्रेषित नहीं किये जा रहे है।
2. उपकेन्द्रों एवं लाइनों का मानक के अनुसार अनुरक्षण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में।
3. निर्माणाधीन उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण में गुणवक्ता सुनिश्चित किये जाने तथा निर्माणधीन उपकेन्द्रों एवं लाइनों को समय से ऊर्जीकृत न हो पाने के सम्बन्ध में
4. खण्डों द्वारा निर्गत सामग्री की ससमय अकांउटिंग एवं कालान्तर में उचित समाशोधन नहीं किया जा रहा है।
5. खण्ड द्वारा ठेकेदारों को दिये गये विविध अग्रिम की वसूली ससमय न करना।
6. निष्प्रयोज्य सामग्रियों का नियमित रूप से निस्तारण न करना।
7. इकाईयों द्वारा अवशेष धनराशि को मुख्यालय न लौटाना।
8. वित्तीय अधिकार से सम्बन्धित लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए, निविदा/कार्यादेशों/ आपूर्ति आदेशों निर्गमन में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं करना।
9. किसी नये प्रोजेक्ट के प्रारम्भिक सर्वे में समस्त महत्वपूर्ण सीमाचिन्हों जैसे लाइन क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग इत्यादि का उल्लेख करने में पर्याप्त सजगता व सावधानी न बरतना।
10. पारेषण परिकल्पना की अनुरूपता में समस्त आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष security-cum-performance bank guarantee का प्राविधान न किया जाना।

उपरोक्त बिन्दुओं का समग्रता में की गयी समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि केन्द्रीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत संपादित की जा रही जाँचों में कार्मिकों के अन्तर्ग्रस्त पाये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही की जा रही है, जबकि क्षेत्रीय इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार मात्र 02 कार्मिकों के विरूद्व ही अनुशासनिक कार्यवाही फील्ड स्तर पर प्रचलन में है। इस प्रकार की स्थिति अतार्किक प्रतीत होती है, क्योंकि उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यप्रणाली से सम्बन्धित प्रकरणों में इंगित कमियों हेतु प्रथमदृष्टया समस्त सम्बन्धित कार्मिकों का भी मूल उत्तरदायित्व होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण उनके क्षेत्रीय/नियंत्रक अधिकारी द्वारा समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी नहीं की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी नियमित रूप से उनके नियंत्रणाधीन उपकेन्द्रों एवं अधीनस्थों के कार्यालय का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के दौरान अन्य के साथ–साथ उपरोक्त वर्णित कार्यों/पहलूओं पर भी ध्यान देंगे तथा अनियमितता/कार्य में लापरवाही होने की स्थिति में उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से पारेषण मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(पी0 गुरू प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण/जानपद, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पारेषण/जानपद, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
7. अधिशासी अभियन्ता एवं वेब मास्टर सम्बद्व निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कट फाइल।